संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/एसबीटीसी/2020/2834 भोपाल, दिनांक 02/01/2020

प्रति,

1. अधिष्ठाता,
   चिकित्सा महाविद्यालय - भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा (म.प्र.)
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
   जिला चिकित्सालय
4. अधीक्षक,
   सिविल अस्पतालजनसेवा रूग्णालय - इटारसी (होशंगाबाद), रानी दुर्गावती, जबलपुर एवं इंदिरा गांधी गैस राहत चिकित्सालय, भोपाल
   मध्य प्रदेश

विषय:- होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जेस के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक/एस.बी.टी.सी/एफ-30/2017/1867 दिनांक 11.04.2017

राज्य रक्ताधान परिषद (एस.बी.टी.सी.) के द्वारा उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के माध्यम से होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जेस के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में पुन: निर्देशित किया जाता है कि गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों एवं हिमोग्लोबिनोपेथी (थेलेसिमिया, सिकलसेल एनिमिया एवं हीमोफिलिया) से प्रभावित सभी श्रेणी के मरीजों, ट्रांमा व एक्सीडेंट के मामले में रक्ताधान की आवश्यकता होने पर निशुल्क एवं रिप्लेसमेंट फ्री रक्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

2. अस्पताल में भर्ती होकर उपचार प्राप्त करने वाले बी.पी.एल. श्रेणी के मरीजों को रक्ताधान की आवश्यकता होने पर उन्हे निशुल्क रक्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये, ए.पी.एल. श्रेणी के मरीजों को रक्ताधान की आवश्यकता होने पर होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जेस से छूट प्रदान की जाये।

3. निजी चिकित्सालयों में उपचार प्राप्त कर रहे मरीजों को होल ब्लड एवं पैक सेल की आवश्यकता होने पर संदर्भित पत्र द्वारा निर्धारित प्रोसेसिंग चार्ज निम्नानुसार दर्शाई दरों के अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है, उक्त दरे अधिकतम सीमा को दर्शाती है :-

- होल ब्लड - रुपये 1050 प्रति यूनिट
- पैक सेल - रुपये 1050 प्रति यूनिट
- फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा - रुपये 300 प्रति यूनिट
- प्लेटलेट - रुपये 300 प्रति यूनिट
- क्रायोप्रेसिपिपेट - रुपये 200 प्रति यूनिट

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं द्वारा अनुमोदित

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक (एस.बी.टी.सी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/एसबीटीसी/2020/2835 भोपाल, दिनांक 02/01/2020

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ प्रेषित :-

1. ड्रग कन्ट्रोलर जनरल (इंडिया), भारत सरकार, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, केन्द्रीय औषधी मानक नियंत्रण संगठन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली 110002
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, स्थानीय कार्यालय।
5. संचालक, राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110 001
6. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश।
7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश,।
8. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. डिप्टी ड्रग कन्ट्रोलर जनरल (इंडिया), भारत सरकार, केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन, सब जोन इंदौर, 67-72, टाइप-ए ग्रिफिन्स कॉलोनी, पिपल्याहाना रोड, इंदौर-1
10. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
11. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
12. अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल।
13. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (एस.बी.टी.सी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश